

नगरपालिका आम निर्वाचन, 2022 के अवसर पर प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा
शपथ-पत्र के साथ दी जाने वाली सूचनाओं का प्रपत्र

मुजफ्फरपुर जिला के नगर निगम/नगर पौर/ग्राम पंचायत नगर निगम
के वार्ड संख्या 41 से कार्यरत/उप मुख्य नरेश/मुख्य कार्यरत पद का निर्वाचन।
अभ्यर्थी का नाम- काजल कुमारी सिन्हा
पिता/पति का नाम- अतिनाथ कुमार

1. क्या आप देश के भीतर या बाहर किसी न्यायालय द्वारा कभी कारावास या अर्धदण्ड से दंडित किये गये हैं- शुन्य

(क) यदि हाँ, तो निम्न विवरण अंकित करें:- शुन्य

- (i) न्यायालय का नाम जिसके द्वारा दंडित किये गये- शुन्य
- (ii) दंडित किये जाने की तिथि एवं वाद संख्या- शुन्य
- (iii) किये गये अपराध की प्रकृति- शुन्य
(अभिनियम एवं धाराओं का विवरण सहित)

(iv) दिया गया दण्ड- शुन्य

(v) काराधीन रहने को अवधि, यदि कोई हो- शुन्य

(vi) कारावास से मुक्त होने की तिथि- शुन्य

(ख) उपरोक्त दण्डादेश के विरुद्ध कोई अपील/पुनर्विचार का आवेदन दायर किया गया है या नहीं?

(i) अपील संख्या/पुनर्विचार आवेदन पत्र, यदि कोई हो, का विवरण- शुन्य

(ii) न्यायालय का नाम जिसके समक्ष अपील/पुनर्विचार आवेदन पत्र दायर किया गया- शुन्य

(iii) क्या दायर अपील/पुनर्विचार आवेदन पत्र निष्पादित हो चुका है अथवा लंबित है- शुन्य

(iv) यदि निष्पादित है, तो शुन्य

(क) निष्पादन की तिथि- शुन्य

(ख) पारित आदेश का संक्षिप्त विवरण- शुन्य

(v) क्या अपील/पुनर्विचार आवेदन पत्र के विचारण के दौरान कोई जमानत दिया गया- शुन्य

(vi) यदि हाँ, तो जमानत पर मुक्त रहने की अवधि- शुन्य

(ग) क्या आप किसी न्यायालय में किसी अपराध में दोषमुक्त (acquittal) या उन्मोचित (discharge) किये गये हैं, यदि हाँ तो निम्न विवरण दें- शुन्य

(i) न्यायालय जिसके द्वारा दोषमुक्त किये गये हों- शुन्य

(ii) आरोप की प्रकृति एवं वाद संख्या- शुन्य

2. क्या आप नामांकन दाखिल करने की तिथि के छः माह पूर्व देश के भीतर या बाहर वैसे किसी लॉकडौन मामले में आरोपित हैं और उसमें आरोप तैयार कर लिया गया है अथवा सक्षम विधि न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है, जिसमें छः माह से ज्यादा की सजा हो सकती है? यदि हाँ, तो निम्न विवरण दें:- शुन्य

- (i) अधिनियम की धारा और अभियोग का विवरण जिसके लिये आरोपित है। संज्ञान लिया गया है- शुन्य
- (ii) न्यायालय जिसने आरोप तैयार किया है/संज्ञान लिया है- शुन्य
- (iii) अपराध संख्या शुन्य
- (iv) आरोप तैयार करने/संज्ञान लेने का न्यायालय के आदेश का दिनांक- शुन्य
- (v) उपर्युक्त आरोप तैयार करने/संज्ञान लेने के विरुद्ध अपील (अपीलों)/पुनर्विलोकन का प्रार्थना पत्र (पत्रों) यदि कोई हो तो उसका विवरण- शुन्य

3. क्या आपके विरुद्ध उक्त कोडिका (2) में वर्णित मामले से भिन्न किसी अन्य मामले में देश के भीतर या बाहर किसी न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है? यदि हाँ, तो निम्न विवरण दें- शुन्य

- (i) अधिनियम की धारा और अभियोग का विवरण जिसके लिये आरोपित है/ संज्ञान लिया गया है- शुन्य
- (ii) न्यायालय जिसने आरोप तैयार किया है/संज्ञान लिया है- शुन्य
- (iii) अपराध संख्या- शुन्य
- (iv) आरोप तैयार करने/संज्ञान लेने का न्यायालय के आदेश का दिनांक- शुन्य
- (v) उपर्युक्त आरोप तैयार करने/संज्ञान लेने के विरुद्ध अपील (अपीलों)/पुनर्विलोकन का प्रार्थना पत्र (पत्रों) यदि कोई हो तो उसका विवरण- शुन्य

4. यदि कोई निर्वाचन संबंधित अपराध लॉकडौन हो, तो पूर्ण विवरण- शुन्य

5. अपनी परिसम्पत्ति अपने पति/पत्नी एवं आश्रितों सहित का विवरण निम्नवत है:-

(क) अचल सम्पत्ति:-

(i) कृषि भूमि :- स्वयं 7 डिमील लगभग 6 लाख

(ii) शहरी भूमि- पैक्क - 2 डिमील लगभग 15 लाख
स्वयं - 2 डिमील लगभग 6 लाख

(iii) भवन- पैक्क दो मंजील 2 डिमील 2 लाख

उपरोक्त की स्थिति, माप तथा वर्तमान बाजार मूल्य दिया जाए।

(ख) चल सम्पत्ति तथा उनकी वर्तमान कीमत:-

(i) नकद 40000/-

(ii) बैंक बैलेंस - उज्जैन बैंक - 989/-
संजय केनरा बैंक - 700/-
(बैंक का प्रिन्टआउट संलग्न करें।)
पति - केनरा बैंक - 36/-

(iii) फिक्स डिपॉजिट शून्य
(प्रमाण-पत्र की छायाप्रति संलग्न करें।)

(iv) बॉण्ड, शेयर- शून्य
(इसके प्रमाण की छायाप्रति संलग्न करें)

(v) वाहन शून्य
(निबंधन की छाया प्रति जिसका परिवहन पदाधिकारी की मुहर के साथ संलग्न करें)

(vi) आभूषणों का विवरण 2 भाग (20 ग्राम)
(पूर्ण विवरण दें) कान, नाक, हाथ
अनुमानित मूल्य - 1,00,000/-

6. ** (क) अपने पति/पत्नी एवं आश्रितों सहित के दायित्वों/

वित्तीय संस्थाओं के बकायों का पूर्ण विवरण दिए जाएं
(प्रमाण-पत्रों के साथ)

संजय - उज्जैन स्मॉल फाइनेंस बैंक
लोन राशि - 70,000/-
पति - बंधन बैंक लोन राशि 40,000/-

(ख) अगर के.सी.सी. है तो उसके अद्यतन प्रमाण-पत्र की छायाप्रति शून्य

7. अपनी शैक्षणिक योग्यता का विवरण स्कूल व कॉलेज के नाम के साथ अंकित करें-

मैट्रिक - आर सी हाईस्कूल
बिडुल बजाट, हाजीरा, बेशाली

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त सूचनाएँ मेरी जानकारी एवं विश्वास में सही और सत्य हैं।

स्थान- मुजफ्फरपुर

तिथि- 23/09/22

Kajal Kumari Singh

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

* जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

** वित्तीय संस्था/बैंक/सरकार/आयकर/वेल्थ टैक्स/प्रोपर्टी टैक्स/बिजली कर संबंधी बकाया।

नोट :- सभी स्तम्भ निश्चित रूप से भरे जायें। जहाँ शून्य विवरण देना हो वहाँ "शून्य" अवश्य अंकित किया जाय।

स्तम्भ खाली छोड़ देने अथवा (X) चिह्न अंकित करने पर यह माना जायेगा कि अभ्यर्थी द्वारा सूचना देने की चेष्टा की गई है और यह नामांकन पत्र रद्द करने का आधार बन सकता है।



No. 512/22

प्रपत्र-ख

शपथ-पत्र

वे. काजल कुमारी सिन्हा

उप 41 वर्ष, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत मुजफ्फरपुर के वार्ड संख्या 41

मोहल्ला सुन्दरबाग, पोस्ट मुजफ्फरपुर, जिला मुजफ्फरपुर, बिहार का निवासी हूँ, तथा शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ:-

कि मैं अपना नाम निर्देशन पत्र नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत मुजफ्फरपुर के वार्ड संख्या 41 के पार्षद/उप मुख्य पार्षद/मुख्य पार्षद पद के निर्वाचन हेतु दाखिल कर रहा/रही हूँ;

कि मैं बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 को धारा 18 के उपबन्धों से पूर्णतः अवगत हूँ;

कि मैं बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 को धारा 18 के तहत नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत मुजफ्फरपुर के वार्ड 41 के पार्षद/उप मुख्य पार्षद/मुख्य पार्षद पद के निर्वाचन के लिए अथवा निर्वाचन के बाद अपने पद पर बने रहने के लिए अनर्हत नहीं हूँ;

कि संलग्न अनुमोचित में मेरे द्वारा अंकित की गई सूचनाएँ मेरे विरवास एवं जानकारी में सही और सत्य हैं।

1. गवाह का पूर्ण हस्ताक्षर Anand Kumar
नाम- अरविन्द कुमार
पता- कहौली गाँव नं-१ के पास
मुजफ्फरपुर

Kajal Kumari Sinha
अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

Anand Kumar
23/09/22

2. गवाह का पूर्ण हस्ताक्षर Raja Bala
नाम- राजा बाला
पता- मंजीर रोड, मुजफ्फरपुर-41

Kajal Kumari Sinha

स्थान: मुजफ्फरपुर
दिनांक: 23/09/22



*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।
नोट : कार्यपालक दण्डाधिकारी/नोटरी पब्लिक/ओथ कमिशनर के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।